कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप एवं अनुसूची I/III के ग्रुप डी–II में संवर्गित प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी–II) पे–मेट्रिस में लेवल–16 में वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक(मुख्य एवं रिव्यू) की कार्यवाही में की गई अनुशंषाओं के आधार पर कार्मिकों का चयन किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः– शिविरा–माध्य/संस्था–एबी/बी–III/डीपीसी/प्रधानाचार्य/2019–20 (नियमित) दिनांकः– 24.05.2019 द्वारा चयन आदेश जारी किया गया था। चयनित कार्मिकों के पदस्थापन हेतु काउंसलिंग का आयोजन दिनांकः–20–22जून2019 तक किया जाकर विभिन्न चरणों में काउंसलिंग में उपस्थित एवं अनुपस्थित कार्मिकों के सम्बन्ध में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनॉक 20.06.19/ 21.06.2019/ 22.06.2019 द्वारा पदस्थापन आदेश जारी किये जाकर क्रमशः दिनांक 24 जून से 26 जून 2019 तक कार्यग्रहण हेतु पाबन्द किया गया था। उक्त समस्त प्रधानाचार्य पदस्थापन आदेशों में कार्यग्रहण की अंतिम तिथि समेकित रूप से दिनांक 27.06.2019 तक बढाई जाती है। इसके अतिरिक्त व्याख्याता–स्कूल शिक्षा के भी विभिन्न विषयों की वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध डीपीसी चयनित कार्मिकों के पदस्थापन हेतु काउंसिलिंग कैम्प दिनांकः– 22से 24 जून तक आयोजित किया गया। काउंसलिंग में उपस्थित एवं अनुपस्थित कार्मिकों के पदस्थापन आदेश दिनांकः–22/23/24 जून 2019 को जारी किये जाकर समस्त नव पदस्थापित व्याख्याताओं को दिनाकः– 28–29जून, 2019 तक कार्यग्रहण किये जाने बाबत पाबन्द किया गया था।

चूंकि शैक्षणिक सत्र 2019–20 आरम्भ हो चुका है एवं नामांकन अभिवृद्धि विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है अतः समस्त पदोन्नत प्रधानाचार्यो एवं प्राध्यापकों को कार्यग्रहण का अन्तिम अवसर दिया जाकर सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित तिथि तक शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण कर सकते है। किसी भी कार्मिक की किसी भी परिस्थिति में कार्यग्रहण तिथि में अभिवृद्धि नहीं की जायेगी। प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष एवं व्याख्याता–स्कूल शिक्षा पदोन्नति परित्याग आदेश क्रमशः 28.06.2019 एवं 30.06.2019 को जारी कर दिये जावेगें। इसके लिए संबंधित कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/डीपीसी–2019–20/पदस्थापन/2019(काग्र) दिनांकः– 25.06.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् :–

01. शासन सचिव–शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
05. संबंधित संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा
06. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
07. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक।
08. संबंधित मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
09. संबधित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि पदोन्नति पर कार्यमुक्त नहीं होने वाले कार्मिक से पदोन्नति परित्याग के आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त कर आवश्यक इन्द्राज शाला दर्पण में करते हुए इस कार्यलय को सूचित करें।
10. संबंधित पदोन्नत कार्मिक
11. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी–3
12. सहायक निदेशक, शाला दर्पण अनुभाग
12. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर